

**कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।**

संख्या- 4359-67

/2018-19/अधि0

दिनांक 11 जून, 2018

:- आदेश :-

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी 'ग' के निम्नांकित मिनिस्ट्रीरियल कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान/कार्यालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान/कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री वीरेन्द्र सिंह महर प्रधान सहायक	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली	जनहित धारा 7क एवं ख
2	श्री रामकृष्ण बगवाडी प्रधान सहायक	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार	जनहित धारा 10क एवं ख
3	श्री राकेश चन्द्र मैठाणी प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टिहरी (अग्रिम आदेशों तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन आहरित किया जायेगा)।	अनुरोध धारा 13(5) एवं धारा 17(1)(ख)(दो)
4	श्री रघुनाथ सिंह पंवार वरिष्ठ सहायक	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ:))
5	श्री जगदीश प्रसाद पुरोहित वरिष्ठ सहायक	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रुद्रप्रयाग	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ:))
6	श्री अनिल कुमार वर्मा	कार्यालय-जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार	कार्यालय राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हरिद्वार	अनुरोध धारा 13(6) एवं धारा 17(1)(ख)(पांच)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग, नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंतव्य प्राप्त करते हुये ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।
5. स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. अधीक्षक, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी हरिद्वार।
5. कार्यालय राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हरिद्वार।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
8. विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

(प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक